रजिस्ट्री सं. डी.एल.–33002/99

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

REGISTERED No. D.L.—33002/99

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 68]	दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 25, 2013/वैशाख 5, 1935	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 18
No. 68]	DELHI, THURSDAY, APRIL 25, 2013/VAISAKHA 5, 1935	[N.C.T.D. No. 18

भाग—IV
PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

शिक्षा निदेशालय

अधिसूचना

दिल्ली, 25 अप्रैल 2013

सं०फा० डी.ई.टीजीटी (सीएस)/ई०–IV/2011/504– गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 13 जुलाई, 1959 की अधिसूचना सं. फा. 27/59–एचआईएम (I) के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इस सरकार की दिनांक 28 जून, 1960 की अधिसूचना संख्या फा. 26(49)/59–आर एंड एस के अधिक्रमण में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, शिक्षा निदेषालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में **प्रशिक्षित स्नातक अध्यापक (कम्प्यूटर विज्ञान)** के पद की भर्ती पद्धति विनियमित करने संबंधी निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :–

1. **संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ**:–(1) इन नियमों को प्रशिक्षित स्नातक अध्यापक (कम्प्यूटर विज्ञान) शिक्षा निदेशालय भर्ती नियमावली, 2013 कहा जाएगा।

(2) ये दिल्ली राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू समझे जाएंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतनमान**:–उक्त पद की संख्या, इनका वर्गीकरण तथा उससे संलग्न वेतनमान इन विनियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

3. **भर्ती पद्धति, आयु सीमा तथा योग्यताएं आदि**:–उक्त पद की भर्ती पद्धति, आयु सीमा योग्यताएं एवं इससे संबंधित अन्य मामलें उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

4. **अयोग्यता**:– ऐसा कोई भी व्यक्ति

(क) जो किसी व्यक्ति के जीवित पति/पत्नी के होते हुए विवाह करता है या विवाह का अनुबंध करता है, या

शर्त यह है कि यदि सरकार संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति एवं विवाह के अन्य पक्षकार पर लागू व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत अनुमत है और इस बात से संतुष्ट हो जाने पर कि ऐसा करने के लिये विशेष आधार है/हैं किसी भी ऐसे उम्मीदवार को इस नियम के प्रवर्तन की छूट दे सकेगा।

5. **शिथिल करने की शक्ति** :–जहां सरकार का यह मत हो कि ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है, तो वह कारणों को अभिलिखित करते हुए व्यक्तियों/पदों को किसी श्रेणी या वर्ग के संबंध में इन नियमों के उपबंध में से किसी को भी शिथिल कर सकेंगे।

6. **बचाव**:– इन नियमों की किसी भी बात का केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय–समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिये उपबन्धित किये जाने के लिये आरक्षण अपेक्षित आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनुसूची

शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में " प्रशिक्षित स्नातक अध्यापक (कम्प्यूटर विज्ञान)" के पद के भर्ती नियम :–

1.	**पदनाम**	:	**प्रशिक्षित स्नातक अध्यापक (कम्प्यूटर विज्ञान)**
2.	**पदों की संख्या**	:	2026 * (2013) * इसमें परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर है।
3.	**वर्गीकरण**	:	सामान्य केन्द्रीय सेवा श्रेणी 'ख' अराजपत्रित, अलिपिकीय
4.	**पे बैंड एवं ग्रेड पे/वेतनमान**	:	पे बैण्ड – 2 (9300–34800/– रुपये) (ग्रेड पे – 4600/–रुपये)
5.	**क्या चयन पद है अथवा गैर चयन पद है**	:	लागू नहीं
6.	**सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा**	:	30 वर्ष से अधिक नहीं टीप 1:–(केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी आदेशों या अनुदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिये 5 वर्ष तक शिथिलनीय) टीप 2: – आयु सीमा निर्धारित करने के लिए मान्य तारीख वही होगी जो भारत में रह रहे उम्मीदवारों के आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि हो लेकिन यह असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालेंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू व कश्मीर राज्य की लद्दाख सब डिवीजन, हिमाचल प्रदेश का लाहौल व स्पीति जिला तथा चंबा जिले की पांगी सब डिवीजन व अण्डमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षदीप के उम्मीदवारों के लिए निर्धारित अंतिम तारीख नहीं है।
7.	**सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएं**	:	अनिवार्य :– 1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर अनुप्रयोग (बीसीए) में स्नातक उपाधि। **अथवा** किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर विज्ञान में स्नातक

			(बशर्ते है कि सभी वर्षों में मुख्य विषय के रूप में कम्प्यूटर विज्ञान विषय अवश्य पढ़ा होना चाहिए) अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बीई/बीटेक (कम्प्यूटर विज्ञान/सूचना प्रौद्योगिकी) अथवा किसी विषय में स्नातक तथा डीओईएसीसी, सूचना एवं संचार एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार का 'ए' स्तर का पाठ्यक्रम। टीप 1:– अन्यथा सुयोग्य उम्मीदवारों के मामले में सक्षम प्राधिकारी के विवेक के आधार पर अभिलेखबद्ध लिखित कारणों से योग्यता शिथिलनीय है।
8.	क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं आयु सीमा पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होगी।	:	लागू नहीं
9.	परीवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	:	2 वर्ष
10.	भर्ती की पद्धति सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या विलयन द्वारा विभिन्न पद्धतियों से भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत	:	सीधी भर्ती द्वारा
11.	यदि पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / विलयन द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / विलयन किया जाना है	:	लागू नहीं
12.	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो तो इसकी संरचना क्या है?	:	'ख' वर्गीय विभागीय पदोन्नति समिति (स्थाईकरण पर विचार करने हेतु) 1. सचिव (शिक्षा), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार – अध्यक्ष 2. निदेशक (शिक्षा), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार – सदस्य 3. अतिरिक्त सचिव (योजना) – सदस्य 4. अतिरिक्त निदेशक ,शिक्षा (प्रशासन)– सदस्य
13.	वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है।	:	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवयक नहीं है ।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से और उनके नाम पर,

डॉ0 मधु तवेतिया
अतिरिक्त सचिव (शिक्षा)

DIRECTORATE OF EDUCATION

NOTIFICATION

Delhi, the 25th April 2013

F. No. D.E. TGT(CS)/E-IV/2011/504—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution read with the Government of India, Ministry of Home Affair's Notification No. F. 27/59-Him(i) dated the 13th July, 1959, and insuper session of this Government's Notification No.F. 26(49)/59-R & S dated the 28th June, 1960, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Trained Graduate Teacher (Computer Science) in the Directorate of Education, Government of NCT of Delhi, Namely:—

1. **Short title and commencement.** – (1) These rules may be called the Directorate of Education, Trained Graduate Teachers (Computer Science) Recruitment Rules, 2013.

   (2) They shall come into force with effect from the date of their publication in the Delhi Gazette.
2. **Number of posts, classification and scale of pay.** – The number of the said posts, their classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said schedule annexed to these rules.
3. **Method of recruitment, age-limit, qualification etc.**- The method of recruitment to the said posts, age limit, qualification and other matter connected therewith, shall be as specified in columns (5) to (14) of the said Schedule.
4. **Disqualifications.** – No person--
   (a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or
   (b) Who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with a person,

   shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**- Where the Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect in any class or category of persons.

6. **Saving.** – Nothing in these rules shall effect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Recruitment Rules for the post of Trained Graduate Teacher (Computer Science) under the Directorate of Education, Government of National Capital Territory of Delhi

Name of the post	Number of posts	Classification	Pay Band & Grade Pay/ Pay Scale	Whether selection post or non-selection post
1.	2.	3.	4.	5.
Trained Graduate Teacher (Computer Science)	2026 (2013)* Subject to the variation depending on workload	GCS Group 'B' Non-Gazetted, Non Ministerial	PB-2 (Rs.9300-34800) (Grade Pay Rs.4600/-).	N.A.

Age limit for direct recruits	Educational & other qualification required for direct recruits	Whether age & educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees	Period of probation, if any
6.	7.	8.	9
Not Exceeding 30 years. Note-1 Relaxable for Government servants up to 5 years in accordance with the instructions or orders issued by Central Govt. **NOTE 2:** The Crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in india (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Laddakh division of J & K State, Lahul & Spiti Districts and pangi sub-division of Chamba district of Himachal Pradesh & Andaman & Nicobar Island Or Lakshadweep).	**Essential** 1. Bachelors Degree in Computer Application (BCA) from a recognized university. **OR** Graduation in Computer science from a recognized university. (provided that the computer science subject must be studied in all years as main subject) **OR** BE/B.Tech.(Computer Science/Information Technology) from a recognized University **OR** Graduation in any subject and 'A' level course from DOEACC, Ministry of Information & Communication and Technology, Govt of India. **Note:** Qualifications are relaxable at the discretion of the competent authority for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified..	NA.	02 Years.

Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption & % of vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion/deputation/ absorption, grades from which promotion/deputation/ absorption to be made.	If a DPC exists, what is its composition	Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment.
10.	11.	12.	13.
By direct recruitment.	Not applicable	Group 'B' DPC (for considering confirmation):- 1.Secretary(Education), GNCT of Delhi-**Chairman** 2. Director of Education-	Consultation with UPSC not necessary.

1659 DG/13-2

		Member 3Additional Secretary(Planning)-**Member** 4. Additional Director of Education(Admn)- **Member**	

By Order and in the Name of the Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi,

DR. MADHU TEOTIA, IAS Addl. Secy. (Education)

गृह पुलिस (I)/स्थापना विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 25 अप्रैल, 2013

सं0फा0 13(29)/2002–गृह पु.–1/स्था./408 से 410—दिल्ली पुलिस अधिनियम, 1978 (1978 का 34) की धारा 147 की उपधारा (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, दिल्ली पुलिस (नियुक्ति एवं भर्ती) नियमावली, 1980 में आगे संशोधन करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात :—

1. **संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ** (1) ये नियम दिल्ली पुलिस (नियुक्ति एवं भर्ती) (संशोधन) नियमावली, 2013 कहे जायेंगे ।

   (2) ये दिल्ली राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होंगे ।

2. **नये नियम 17–ग का संशोधन** दिल्ली पुलिस (नियुक्ति एवं भर्ती) नियमावली, 1980, इसके पश्चात् "मूल नियमावली" के रूप में संदर्भित, के नियम 17–ख (xix) के पश्चात् नये नियम 17–ग (i) तथा (ii) जोड़े जायेंगे, अर्थात :–

नियम 17–ग (i)

1.	पदनाम	:	निरीक्षक (दूरसंचार)
2.	पदों की संख्या	:	02* (दो) *इसमें कार्यभार के आधार पर परिवर्तनीय
3.	वर्गीकरण	:	समूह 'ग' अराजपत्रित, अलिपिकीय
4.	वेतनमान	:	93,00–34,800/– रुपये +ग्रेड पे 4600/–रुपये
5.	क्या चयन मैरिट के आधार पर है या चयन एवं वरिष्ठता या गैर चयन पद	:	लागू नहीं
6.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा	:	लागू नहीं
7.	क्या के0 सि0 से0 (पेंशन) नियमावली 1972 के नियम 30 के अर्न्तगत जोड़े गये सेवा वर्षो का लाभ ग्राहय है	:	लागू नहीं
8.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएँ	:	लागू नहीं

9.	क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं आयु सीमा पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होगी।	:	लागू नहीं
10.	परीवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	:	लागू नहीं
11.	भर्ती की पद्धति सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति / समावेशन द्वारा विभिन्न पद्धतियों से भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत	:	प्रतिनियुक्ति
12.	यदि पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / समावेशन द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / समावेशन किया जाना है	:	प्रतिनियुक्ति केन्द्रीय / राज्य / संघ राज्य क्षेत्र / आई.टी.बी.पी. / सी.आर.पी.एफ. / बी.एस.एफ / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम / स्वायत्त निकायों के अन्तर्गत अधिकारी (क) (i) नियमित आधार पर समरूप पद धारण करने वाले। (ii) 9300–34,800रू0 के वेतनमान, 4200/–रुपये ग्रेड पे के ग्रेड में तीन वर्ष की नियमित सेवा सहित (छठे वेतन आयोग के अनुसार जब से 5500–9000/–रुपये तथा 5000–8000/–रुपये का वेतनमान, 9300–34800/–रुपये वेतनमान+4200/–रुपये ग्रेड पे में विलय हुआ है। (ख) निम्नलिखित शैक्षिक योग्यताएँ एवं अनुभव रखने वाले। (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से दूरसंचार / इलैक्ट्रॉनिक्स / कम्प्यूटर इंजीनियरिंग / कम्प्यूटर एप्लीकेशन में इंजीनियरिंग स्नातक, अथवा समकक्ष (ii) इलैक्ट्रॉनिक्स / दूरसंचार / कम्प्यूटर डाटा प्रोसेसिंग तथा प्रोग्रामिंग में तीन वर्ष का अनुभव। अथवा (i) किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से दूरसंचार / इलैक्ट्रॉनिक्स / कम्प्यूटर इंजीनियरिंग / कम्प्यूटर एप्लीकेशन में तीन वर्षीय डिप्लोमा अथवा इसके समकक्ष (ii) इलैक्ट्रॉनिक्स / दूरसंचार / डाटा प्रोसेसिंग तथा प्रोग्रामिंग में पाँच वर्ष का अनुभव। स्वास्थ्य: उम्मीदवार को स्वस्थ एवं दोष / विकृति / रोग मुक्त होना चाहिए। प्रशिक्षण: उम्मीदवार को अनुशासन, वर्दी पहनना, पुलिस संगठन का ज्ञान, दिल्ली पुलिस के नियम व विनियम के लिये पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज, झडौदा कलां में अल्प प्रशिक्षण लेना होगा । (प्रतिनियुक्ति की अवधि इसमें उसी या केन्द्र सरकार के किसी अन्य संगठन / विभाग में इस नियुक्ति से तुरन्त पूर्वधारित किसी

			अन्य गैर संवर्ग पद में प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतः तीन वर्षों से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा नियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) हेतु अधिकतम आयु सीमा आवेदन पत्र प्राप्ति की अन्तिम तारीख को छप्पन (56) वर्षों से अधिक नहीं होगी।)
13.	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो तो इसकी संरचना क्या है?	:	लागू नहीं
14.	वे परिस्थितियॉं जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है।	:	लागू नहीं

नियम 17–ग **(ii)**

1.	पदनाम	:	उप–निरीक्षक (दूरसंचार)
2.	पदों की संख्या	:	04* (चार) *इसमें कार्यभार के आधार पर परिवर्तनीय
3.	वर्गीकरण	:	समूह 'ग' अराजपत्रित, अलिपिकीय
4.	वेतनमान	:	93,00–34,800/– रुपये +ग्रेड पे 4200/–रुपये
5.	क्या चयन मैरिट के आधार पर है या चयन एवं वरिष्ठता या गैर चयन पद	:	लागू नहीं
6.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा	:	लागू नहीं
7.	क्या के0 सि0 से0 (पेंशन) नियमावली 1972 के नियम 30 के अर्न्तगत जोड़े गये सेवा वर्षो का लाभ ग्राहय है	:	लागू नहीं
8.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताऍं	:	लागू नहीं
9.	क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं आयु सीमा पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होगी।	:	लागू नहीं
10.	परीवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	:	लागू नहीं
11.	भर्ती की पद्धति सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति / समावेशन द्वारा विभिन्न पद्धतियों से भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत	:	प्रतिनियुक्ति

12.	यदि पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / समावेशन द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / समावेशन कियां जाना है	:	प्रतिनियुक्ति केन्द्रीय / राज्य / संघ राज्य क्षेत्र / आई.टी.बी.पी. / सी.आर.पी.एफ. / बी.एस.एफ / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम / स्वायत्त निकायों के अन्तर्गत अधिकारी (क) (i) नियमित आधार पर समरूप पद धारण करने वाले। (छठे वेतन आयोग के अनुसार जब से 5000–8000 / –रुपये तथा 4500–7000 / –रुपये का वेतनमान, 9300–34800 / –रुपये वेतनमान+4200 / –रुपये ग्रेड पे में विलय हुआ है। (ख) निम्नलिखित शैक्षिक योग्यताएँ एवं अनुभव रखने वाले। (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से दूरसंचार / इलैक्ट्रॉनिक्स / कम्प्यूटर इंजीनियरिंग / कम्प्यूटर एप्लीकेशन में इंजीनियरिंग स्नातक, अथवा समकक्ष अथवा (i) किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से दूरसंचार / इलैक्ट्रॉनिक्स / कम्प्यूटर इंजीनियरिंग / कम्प्यूटर एप्लीकेशन में तीन वर्षीय डिप्लोमा अथवा इसके समकक्ष (ii) इलैक्ट्रॉनिक्स / दूरसंचार / डाटा प्रोसेसिंग तथा प्रोग्रामिंग में तीन वर्ष का अनुभव। **स्वास्थ्यः** उम्मीदवार को स्वस्थ एवं दोष / विकृति / रोग मुक्त होना चाहिए। **प्रशिक्षणः** उम्मीदवार को अनुशासन, वर्दी पहनना, पुलिस संगठन का ज्ञान, दिल्ली पुलिस के नियम व विनियम के लिये पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज, झड़ौदा कलां में अल्प प्रशिक्षण लेना होगा । (प्रतिनियुक्ति की अवधि इसमें उसी या केन्द्र सरकार के किसी अन्य संगठन / विभाग में इस नियुक्ति से तुरन्त पूर्वधारित किसी अन्य गैर संवर्ग पद में प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतः तीन वर्षों से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा नियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) हेतु अधिकतम आयु सीमा आवेदन पत्र प्राप्ति की अन्तिम तारीख को छप्पन (56) वर्षों से अधिक नहीं होगी।)
13.	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो तो इसकी संरचना क्या है?	:	लागू नहीं
14.	वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है।	:	लागू नहीं

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से और उनके नाम पर,

1659 DG/13-3

जी.पी. सिंह, अतिरिक्त सचिव (गृह)

HOME POLICE-(I)/ESTABLISHMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 25th April, 2013

F.No. 13/29/2002/HP-1/Estt./408 to 410—In exercise of the powers conferred by the sub-sections (1) and (2) of Section 147 of the Delhi Police Act, 1978 (Act No. 34 of 1978), the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi, hereby make the following rules further to amend the Delhi Police (Appointment and Recruitment) Rules, 1980, namely:—

1. Short title and Commencement:- (1) These Rules may be called the Delhi Police (Appointment and Recruitment) (Amendment) Rules, 2013

(2) They shall come into force with effect from the date of their publication in the Delhi Gazette.

2. Addition of new rule 17-C In the Delhi Police (Appointment and Recruitment) Rules, 1980 hereinafter referred to as the 'Principal Rules' after Rule 17-B (xix) a new Rule 17-C (i) and (ii) shall be added, namely,

Rule 17-C (i)

1.	Name of Post	Inspector (Telecommunication)
2.	No. of Posts	02 (Two) *Subject to variation depending on work load.
3.	Classification	Group 'C' Non-Gazetted Non-Ministerial.
4.	Scale of pay	Rs. 9300-34800 + Grade Pay Rs. 4600/-
5.	Whether selection by merit or selection cum-seniority or Non-Selection Post.	Not applicable
6.	Age limit for direct recruits	Not applicable
7.	Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the CCS (Pension) Rules, 1972	Not applicable
8.	Educational and other qualifications required for direct recruits	Not Applicable
9.	Whether age and Educational Qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotes	Not applicable
10.	Period of probation, if any,	Not applicable
11.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by Promotion or by deputation/	Deputation

	absorption and percentage of the post to be filled by various method.	
12.	In case of recruitment by promotion/deputation/absorption, grades from which promotion/ deputation/absorption to be made	**Deputation** Officers of Central/State/UTs/ITBP/CRPF/BSF/ Public Sector Undertakings/Autonomous Bodies. (a) (i) Holding analogous posts on regular basis. (ii) With 03 years regular service in the grade in the pay scale of Rs.9300-34800/- Grade Pay- Rs.4200/- (Since the Pay Scale of Rs.5500-9000 and 5000-8000 have been merged into the pay scale Rs.9300-34800 +4200 Grade Pay as per 6th CPC. (b) Possessing the following educational qualification and experience. (i) B.E.in Telecom/Electronics/Computer Engineering/ Computer Application from recognize university or equivalent. (ii) 03 years experience in Electronics/Telecom/Computer Data processing and programming. OR (i) 03 years diploma in Electronics/Telecom/ Computer Application from a recognized institutions or its equivalent. (ii) 05 years experience in Electronics/Telecom/Data Processing and Programming. **HEALTH:** Candidate should be sound health, free from defect/deformity/disease. **TRAINING:** The candidates will have to undergo short training at Police Training College, Jharoda Kalan, Delhi for discipline, wearing of uniform, knowledge of Police Organizations, Rule and Regulation of Delhi Police. (The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceeding this appointment in the same or some other organization/ Central Govt. shall ordinarily not to exceed 03 years. The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of the receipt of applications).
13.	If a DPC exists, what is its composition	Not applicable
14.	Circumstances in which UPSC to be consulted in making recruitment.	Not applicable

Rule 17-C (ii)

1.	Name of Post	Sub-Inspector (Telecommunication)
2.	No. of Posts	04 (Four) *Subject to variation depending on work load.
3.	Classification	Group 'C' Non-Gazetted Non-Ministerial.
4.	Scale of pay	Rs. 9300-34800 + Grade Pay Rs. 4200/-
5.	Whether Selection by merit or selection cum-Seniority or Non-Selection Post.	Not applicable
6.	Age limit for direct recruits	Not applicable
7.	Whether Benefit of added years of service admissible under rule 30 of the CCS (Pension) Rules, 1972	Not applicable
8.	Educational and other qualifications required for direct recruits	Not applicable
9.	Whether age and Educational Qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotes	Not applicable
10.	Period of probation, if any,	Not applicable
11.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by Promotion or by deputation/ absorption & percentage of the post to be filled by various method.	Deputation
12.	In case of recruitment by promotion/ deputation/absorption, grades from which promotion/ deputation/absorption to be made	**Deputation** Officers of Central/State/UTs/ITBP/CRPF/BSF/ Public Sector Undertakings/Autonomous Bodies. (a) Holding analogous posts on regular basis. (Since the Pay Scale of Rs.5000-8000 and 4500-7000 have been merged into the pay scale Rs.9300-34800 +4200 Grade Pay as per 6th CPC. (b) Possessing the following educational qualification and experience. (i) B.E.in Telecom/Electronics/Computer Engineering/ Computer Application from recognize university or equivalent. OR (i) 03 years diploma in Electronics/Telecom/ Computer Application from a recognized institutions or its equivalent.

		(ii) 03 years experience in Electronics/Telecom/Data Processing and Programming. **HEALTH:** Candidate should be sound health, free from defect/deformity/disease. **TRAINING:** The candidates will have to undergo short training at Police Training College, Jharoda Kalan, Delhi for discipline, wearing of uniform, knowledge of Police Organizations, Rule and Regulation of Delhi Police. (The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization/ Central Govt. shall ordinarily not to exceed 03 years. The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of the receipt of applications).
13.	If a DPC exists, what is its composition	Not applicable
14.	Circumstances in which UPSC to be consulted in making recruitment	Not applicable

By Order and in the Name of the Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi,

G. P. SINGH, Addl. Secy. (Home)

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.